न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) त्वरित न्यायालय/ए0सी0जे0एम0, बरेली
वादी गौरीशंकर
CNR No. UPBR050033042022
मु0अ0सं0 414/95
धारा 147,148,452,352,506 भा0दं0सं0
थाना सुभाषनगर, जिला बरेली।

आदेश

दिनांक– 29.10.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराया गया। पुकार पर वादी मुकदमा अनुपस्थित है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकीर्ण वाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0 414/95 अंतर्गत धारा 147, 148, 452, 352, 506 भा0दं0सं0 थाना सुभाषनगर, बरेली में वादी मुकदमा गौरीशंकर भटनागर सीनियर एडवोकेट द्वारा अभियुक्तगण मोहनलाल वर्मा, श्यामलाल वर्मा, गप्पू, वीर सिंह, मोहनलाल शर्मा उर्फ कुन्नू, सुशील कुमार वर्मा, सुनील कुमार वर्मा उर्फ लल्ला व सुभाष उर्फ बल्लो, निवासीगण थाना सुभाषनगर, जिला बरेली व चार अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी थी। संक्षेप में नकल तहरीर के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से हथियारों के साथ वादी के घर में घुसकर मारपीट की कोशिश व वादी तथा उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देने का उल्लेख किया गया है। विवेचक द्वारा अन्वेषण के पश्चात उपरोक्त प्रकरण में अंतिम आख्या न्यायालय में प्रेषित की गयी। उपरोक्त प्रकरण में वादी मुकदमा हाजिर रहा है और आपत्ति/प्रोटेस्ट पिटीशन दिनांकित 16.06.97 दाखिल किया है। उपरोक्त प्रकरण में वादी विगत कई वर्षों से अनुपस्थित है तथा प्रोटेस्ट पिटीशन पर बल देने के लिए उसकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं नहीं है। विवेचक द्वारा उपरोक्त प्रकरण में दौरान अन्वेषण वादी मुकदमा तथा उसकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी का बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। इसके अलावा वादी मुकदमा के मकान में किराये की दुकान में मौजूद गुलाम नबी, रामभरोसे, गोपाल सक्सेना, जगदेवा, अशोक पाठक व श्रीमती पूनम के भी बयान का उल्लेख केस डायरी में किया गया है और साक्षीगण के बयान के आधार पर मामले को झूठा पाते हुए विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। अतः ऐसी परिस्थिति में यह दर्शित होता है कि विवेचक द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अन्वेषण में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है तथा वादी मुकदमा की ओर से प्रोटेस्ट पिटीशन पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। उपरोक्त प्रकीर्ण वाद (अंतिम आख्या) विगत कई वर्षों से लंबित है।

अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम विवेचना कराये जाने की कोई आवश्यकता दर्शित नहीं हो रही है। तदनुसार अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(विमलेश सरोज)
सिविल जज सी0डि0(त्वरित न्यायालय)/ए0सी0जे0एम0
बरेली।